the various criminal laws in this country, especially, CrPC and IPC. This Ministry of Home Affairs is considering it actively. The persuasion is also being adopted and I hope that, as soon as possible, Law Commission will take it into account and a comprehensive draft will be available before us.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Chairman, justice delayed is justice denied. The speed of delivery of justice is indication of satisfaction of the citizens of any nation. In our country, after Macaulay reforms, we are still in the process of codification of either Penal Code or the Criminal Procedure Code. The Law Commission has its own exorbitant task to look after, and several proposals are pending before the Union Government. Several nations are adopting to have Code Evaluation Commissions on a regular basis. Does our Government intend to have a Code Evaluation Commission to look into the reformation of the Penal Code and Criminal Procedure Code as well as the Cyber Security Act so that the speedy delivery of the justice can be possible in the country? Thank you, Sir.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, this Government, after coming to the position, have taken various steps to ensure that all the piled up cases, which are spread over across the country, are dealt with effectively. There is a National Legal Reforms Committee headed by the Law Minister, where I am also the Vice-Chairman. We have already had three sittings. Besides that, the Law Minister has written to Chief Justices of various High Courts also to ensure the speedy disposal of the cases. The Home Minister has also written to various Chief Ministers. This is a very big issue. But we definitely share the concern raised by the hon. Member that there should be no delay, whatsoever, in terms of delivery of justice

Statutory Development Board for Konkan region

*202. DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has plans to constitute a Statutory Development Board for the Konkan region as unanimously recommended by the Maharashtra Legislature;

(b) if so, the time-frame for the same; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIBHAI PARTHIBHAI CHAUDHARY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No such proposal is under consideration at present.

(b) Does not arise.

(c) The Government of India had received resolutions passed on 13th March, 1989 and again on 15th December, 2005 by both the Houses of Maharashtra State Legislature recommending the establishment of separate Development Board for Konkan. Erstwhile Planning Commission, who were consulted in the matter, were of the view that backwardness by itself is not a reason for a Constitutional Amendment for establishing a separate Development Board for Konkan region in Maharashtra as there are other instruments available with the Centre and State Government to gear up their developmental machinery for achieving the desired progress in backward regions.

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: Sir, at present, according to Article 371 of the Constitution, there is a provision to constitute a separate Development Board keeping in view the fact that there is a particular region of a State relatively backward in comparison to the average State development. Now, a Resolution was passed by both the Houses of the Maharashtra Legislature in 1989 and, again, in 2005 that there should be a separate Statutory Development Board for Konkan. The Development Board is solely brought into existence on the basis of economic backwardness. Following this, earlier two Development Boards were established. One for Vidarbha and one for Marathwada. And the rest of Maharashtra was separate. Now the rest of Maharashtra includes three districts of Konkan. They are totally different from the rest of Maharashtra so far as economic development indicators are concerned. This matter was referred to the Planning Commission.

Sir, I am coming to the question. The present Government has successfully abolished the Planning Commission. The Planning Commission earlier has said that it is not necessary. But since they have abolished the Planning Commission, will the Government refer the matter for reconsideration to the new incarnation which is the NITI Aayog to review the decision of the earlier Planning Commission?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी: सर, माननीय सदस्य ने Development Board के बारे में बताया। इस संबंध में एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के दोनों सदनों से पास होकर 1998 में भी आया था और 2006 में भी आया था। उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं। जब पहले यह सन् 1986 में आया था, तब योजना आयोग ने ऐसा बताया था कि यदि राज्य का विकास करना है तो स्टेट गवर्नमेंट खुद पैसे का allocation करके अलग-अलग बोर्ड बना सकती है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने जो-जो लिखा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूं, ताकि बाद में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में तीन विकास बोर्ड हैं, मराठवाड़ा विकास बोर्ड, विदर्भ विकास बोर्ड और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड। महाराष्ट्र सरकार से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लिए अलग विकास बोर्ड की मांग की गयी है और इस क्षेत्र में चार जिले शामिल हैं, अर्थात ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरि और सिंधु दुर्ग। यह पूरा नक्शा बनाकर रखा है, उसमें एक डिमांड फिर से की है। ...**(व्यवधान)**... अभी जो मेरे पास आयी है, वह इन चार जिलों को शामिल करने के बारे में आयी है। महाराष्ट्र सरकार ने मई, 1998 में और वर्ष 2006 में

[श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी]

महाराष्ट्र विधान सभा के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से भी और उत्तरवर्ती वर्षों में मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र के पत्रों के माध्यम से कोंकण के लिए अलग विकास बोर्ड के लिए प्रस्ताव भेजा था। बाद में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को फरवरी, 2006 में योजना आयोग को फिर से भेजा गया और उन्होंने इस आधार पर कोंकण के लिए एक अलग सांविधिक विकास बोर्ड के सृजन के प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया कि पिछड़ापन स्वयं में संवैधानिक संशोधन का एक कारण नहीं बनता क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के पास पिछड़े क्षेत्र में वांछित प्रगति प्राप्त करने के लिए अपने विकास तंत्र में तीव्रता लाने के लिए अन्य उपाय उपलब्ध हैं। ...**(व्यवधान)**...मैं बताता हूं। मैं आखिर तक का बता दूं, मैं आपको लास्ट पोजिशन तक का बताऊंगा। तत्कालीन गृह मंत्री ने मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र को दिए गए अपने दिनांक 3.7.3009 के उत्तर में जहां योजना आयोग के विचार बताए, वहां यह भी उल्लेख किया कि जब वह अगली बार दिल्ली आएंगे तो उनके साथ कोंकण हेतु अलग सांविधिक विकास बोर्ड के लिए प्रस्ताव पर विचार करेंगे। इस प्रकार गृह मंत्रालय ने मुख्य मंत्री से कहा कि हम इस पर फिर से विचार करेंगे। बाद में तत्कालीन गृह मंत्री ने पुनः कोंकण हेतु सांविधिक विकास बोर्ड के गठन के मामले पर विचार करने के लिए अप्रैल, 2011 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री को आमंत्रित किया था। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 31.05.2011 को backlog के मुद्दे पर विचार करने और विकास व्यय के साम्यपूर्ण वितरण हेतु और संसाधनों के साम्यपूर्ण आवंटन को सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक रास्ता ढूंढ़ने के लिए डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। मुख्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार ने पुनः दिनांक 2 जुलाई, 2014 को गृह मंत्री जी को कोंकण और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में एक अलग विकास बोर्ड पर निर्णय लेने के लिए एक पत्र भेजा।

श्री सभापतिः आप उनको बस बता दीजिए।

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सर, मैं लास्ट तक आऊंगा तो उन्हें उनके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा।

श्री सभापतिः आप पूरा मत पढ़िए, केवल उनके सवाल का जवाब दे दीजिए।

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सर, मैं वही दे रहा हूं। अभी क्या हुआ है, उसे तो बताना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री ने अपने दिनांक 8.8.2014 के उत्तर में सूचना दी कि पूर्व योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को अपना समर्थन प्रदान नहीं किया है।

श्री सभापतिः यह तो बड़ी लम्बी कथा है। आप उनके प्रश्न का जवाब दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, इसके पीछे जवाब आता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए।

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः माननीय सदस्य ने पूछा है कि केलकर कमेटी ने क्या बोला है, वह बताओ। ...**(व्यवधान)**... लास्ट में बताऊंगा। मुख्य मंत्री महाराष्ट्र ने 26.8.2014 को उत्तर दिया कि केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केलकर कमेटी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर राज्य सरकार के विचार भेजने और एक अलग विकास बोर्ड संबंधी नए प्रस्ताव, यदि औचित्य सिद्ध हो जाता है, तो उसके बारे में पूछने पर महाराष्ट्र सरकार ने 26 फरवरी, 2016 को

उत्तर दिया है कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों के विचारों के लिए मंत्रिमंडल की एक टीम बनाई है, वह जांच करके एडवाइज़ करेगी।

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: Sir, I express my dissatisfaction to the reply given by the hon. Minister.

The Constitution, Article 371, was amended and clause J(1) was inserted by which a separate development board for Hyderabad Karnataka region was established. Now, when this was established, all these reports were there. If a separate development board could be established for Hyderabad-Karnataka region, why not for Konkan?

That is the answer I want.

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, योजना आयोग ने बताया है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**...

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः योजना आयोग बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। जो विकास नहीं हुआ है, उसके लिए खुद स्टेट गवर्नमेंट बजट में allocation कर सकती है। ...**(व्यवधान)**... At present, three development boards – Vidarbha Development Board, Marathwada Development Board and the rest of Maharashtra Development Board – are specified under Article 371 of the Constitution of India. ...*(Interruptions)*... The term of these boards has since been extended up to 30th April 2017. इसका योजना आयोग खुद समर्थन नहीं करता है।

श्री हुसैन दलवईः सर, वहां पर बोडर्स बनने चाहिए, इसके लिए हम लोग जेल भी गए। जब बोडर्स बने हैं, तो विदर्भ और मराठवाड़ा में बने हैं। हमें रेस्ट ऑफडर्स महाराष्ट्र में डाला गया है, जिसमें पश्चिमी महाराष्ट्र आता है, जो सबसे प्रगतिशील रीजन है। उसमें कुछ तालुका खराब होंगे, ऐसा नहीं है। ...**(व्यवधान)**... वहां पर बोर्ड क्यों होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट ही उसका इंडिकेशन होता है। उसमें irrigation है, road है, school है, सभी बातों में हम पिछड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी? क्या सरकार इसके लिए National Development Council के जरिए से विचार करके और एक special category मानकर वहां पर बोर्ड बनाएगी?

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने अभी 26 फरवरी को बोला है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवईः मैंने आपसे सवाल पूछा है, इसमें महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? आपकी सरकार इसके बारे में बताए कि वह क्या करेगी? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः दलवई साहब ...**(व्यवधान)**...

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः सभापति महोदय, अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।